महत्वपूर्ण

संख्या- 623 /पन्द्रह-9-2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा समाचार

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग (माध्यमिक शिक्षा अनुभाग- 9) लखनऊ; दिनांक: 06 जून, 2023

विषय: अशासकीय सहायता प्राप्त/ मान्यता प्राप्त विद्यालयों के भवनों के अनुरक्षण एवं संस्था हित के लिए विद्यालयों की आय/ सम्पत्ति का उपयोग कर विद्यालयों की आय बढ़ाने की योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 960/पन्द्रह-9-12-2003(66)/2012 दिनांक 29.09.2012 एवं रिट याचिका संख्या- 7500/2020 दीपेन्द्र विक्रम सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 03 मार्च, 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या- 234/पन्द्रह-9-2020-2003(66)/2012 दिनांक 09 अप्रैल, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त अन्य समस्त शिक्षण संस्थाओं के भवन व परिसर में संचालित होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों यथा- विवाह समारोह, कोचिंग सेंटर, दुकानों आदि को प्रतिबंधित किया गया है ।

2. मा0 न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या- 1485/2019 आशीष कुमार तथा अन्य बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2019 एवं रिट याचिका संख्या- 1004224/2015 उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद, लखनऊ व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया थ्रू प्रमुख सचिव, मानव संसाधन व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 08.09.2022 को आदेश पारित किया गया।

3. मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 26.07.2019 व आदेश दिनांक 08.09.2022 एवं इस संबंध में समस्त हितधारकों एवं जन सामान्य से प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव के क्रम में शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.09.2012 एवं दिनांक 09.04.2020 को अवक्रमित करते हुए अशासकीय सहायता प्राप्त/ मान्यता प्राप्त विद्यालयों के भवनों के अनुरक्षण एवं संस्था हित के लिए विद्यालयों की आय/ सम्पत्ति का उपयोग कर विद्यालयों की आय बढ़ाने की योजना विकसित किये जाने के संबंध निम्नवत व्यवस्था विहित की जाती है, जिससे प्राप्त होने वाली आय को विद्यालय के विकास/ संस्था हित में प्रयोग किया जायेगा:-

(1) विद्यालयों में मान्यता के समय स्वीकृत मानक से अतिरिक्त खाली पड़ी भूमि का उपयोग विद्यार्थियों से सम्बन्धित गतिविधियों यथा-खेल, सांस्कृतिक कार्य, प्रदर्शनी, बागवानी आदि के लिए किया जा सकेगा।

(2) विद्यालय की अतिरिक्त कृषि योग्य अथवा अन्य भूमि को पट्टे/ बटाई आदि पर दिया जा सकेगा ।

(3) विद्यालय में अवकाश दिवस को वैवाहिक एवं अन्य उत्सवों हेतु विद्यालय प्रांगण (क्रीडा स्थल को छोड़कर) को किराये पर दिया जा सकेगा ।

(4) क्षेत्रीय/ स्थानीय स्तर पर युवाओं एवं छात्रों को स्वस्थ रखने हेतु बिना शैक्षिक गतिविधियों को प्रभावित किए व्यावसायिक जिम/ स्वीमिंग पूल आदि विकसित किया जा सकेगा, जिसका उपयोग विद्यार्थियों द्वारा तथा अतिरिक्त समय में स्थानीय निवासियों द्वारा भी किया जा सकेगा ।

(5) विद्यालय भवन का उपयोग, विद्यालय अवधि के पश्चात, नर्सरी, प्राथमिक, माण्टेसरी कक्षाओं का संचालन तथा कम्प्यूटर शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी पाठ्यक्रम के संचालन हेतु किया जा

सकेगा। साथ ही जिन विद्यालयों में स्वीकृत मानक के अतिरिक्त स्थान एवं कमरे उपलब्ध हैं, उनमें नर्सरी, प्राथमिक, नाम्टैसरी कक्षाओं का संचालन तथा कम्प्यूटर शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी पाठ्यक्रम का संचालन किया जा सकेगा।

(6) व्यावसायिक कैंटीन, दुकान एवं हाट/ बाजार, एक पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित की जा सकेगी।

(7) विद्यालय की अतिरिक्त भूमि का उपयोग स्थायी/अस्थायी निर्माण कर अन्य कार्यों यथा- व्यावसायिक, आवासीय एवं संस्थागत कार्यों हेतु किया जा सकेगा। प्रतिबन्ध यह है कि उस स्थायी/ अस्थायी निर्माण से किसी भी दशा में विद्यालय के शैक्षिक, पाठ्य सहगामी (एक्स्ट्रा करिकुलर) एवं आवागमन संबंधी गतिविधियों आदि पर विपरीत प्रभाव न पड़े। स्थायी निर्माण नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृत कराते हुए किया जा सकेगा बशर्ते प्रस्तावित कार्य/ उपयोग उक्त क्षेत्र में लागू महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग / जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुरूप हो। उक्त निर्माण कार्य प्रस्तावित जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात ही किया जा सकेगा।

(8) अर्जित धनराशि से विद्यालय में नवीन निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने तथा अन्य उपलब्ध संसाधनों से आय अर्जित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों के औचित्य का निर्धारण, आय अर्जन हेतु प्राप्त प्रस्तावों से प्राप्त होने वाली धनराशि का मूल्यांकन एवं अर्जित आय का प्रस्तावित संस्था हित में सदुपयोग का परीक्षण उ०प्र० शैक्षिक संस्थाएं (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974 में निहित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाएगी:

I.	जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	अध्यक्ष
II.	मुख्य विकास अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	उपाध्यक्ष
III.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य सचिव
IV.	वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
V.	सम्बन्धित विद्यालय का प्रबन्धक	सदस्य
VI.	सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाचार्य	सदस्य

4. विद्यालय की भूमि/ भवन का व्यावसायिक उपयोग एवं आयवृद्धि हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन ही स्वीकार किया जा सकेगा:

(1) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी दशा में विद्यालय के शैक्षिक, पाठ्य सहगामी (एक्स्ट्रा करिकुलर) एवं आवागमन संबंधी गतिविधियों आदि पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

(2) प्रबन्ध समिति का कोई प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921; वेतन वितरण अधिनियम, 1971 एवं उ०प्र० शैक्षिक संस्थाएं (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974 में प्रख्यापित प्राविधानों तथा इससे सम्बन्धित यदि राज्य सरकार के कोई नियम लागू हैं व इस सम्बन्ध में वर्तमान में प्रचलित नियम/ विनियम तथा भविष्य में निर्गत होने वाले नियम/ विनियम के प्रतिकूल नहीं होगा |

(3) प्रबन्ध समिति कोई भी आयवृद्धि विषयक प्रस्ताव अपनी साधारण सभा के अनुमोदनोपरान्त ही उपरोक्तानुसार गठित समिति को प्रस्तुत करेगी तथा प्रस्ताव पारदर्शी, संगत नियमों के अनुकूल एवं सर्वसुलभ हो।

(4) समिति का यह दायित्व होगा कि प्रस्तावित अस्थायी/ स्थायी निर्माण की अनुमति वर्तमान में सक्षम प्राधिकारी के स्तर से लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार उक्त श्रेणी के विद्यालय हेतु निर्धारित बाइलॉज/ मानक यथा- भूखण्ड क्षेत्रफल, सेटबैक, पार्किंग, प्लेग्राउण्ड, भू-आच्छादन, एफ.ए.आर इत्यादि को पूर्ण करने के उपरान्त यदि कोई अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होती है, तो उसका उपयोग स्थायी/ अस्थायी निर्माण कर अन्य कार्यों में नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृत कराते हुए किया जा सकेगा बशर्ते प्रस्तावित कार्य/ उपयोग उक्त क्षेत्र में लागू महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग / जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुरूप हो।

(5) उक्तानुसार प्राप्त होने वाली आय सम्बंधित संस्था के प्रबन्धक व प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते में जमा होगी तथा जमा धनराशि का उपयोग यथाप्रक्रिया संस्था हित में किया जाएगा |